

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असामान्य

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1972/माघ 25, 1893
No. 35] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1972/MAGHA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह दस्तावेज स्वतंत्र के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th February 1972

SUBJECT.—Import policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March 1972 (Amendment No. 56).

No. 25-ITC(PN)/72.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the ITC Policy (Red Book) for the year, 1971-72 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971, as amended from time to time.

2. In annexure I of Section III of the above referred Red Book the following new entry may be added at S. No. 24 on page 298 thereof:

“Khadi The Khadi & Village Industries Commission, Royal Insurance
Building, Sir J. Tata Road, Bombay-20.”

M. M. SEN

Chief Controller of Imports & Exports

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972

विषय.—अप्रैल 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिए प्रस्तावित निर्यातकों के लिए
आयात नीति (मंशोधन संख्या 56)।

संख्या 25—आई०डी०सी० (पी० एन०)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44—आईटीसी (पीएन)/71 दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल 1971—मार्च 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में प्रकीर्णित निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. उपर्युक्त रेडबुक के खंड 3 के अनुबन्ध 1 में पृष्ठ 298 पर क्रम संख्या 24 पर निम्नलिखित नई प्रविष्टि जोड़ी जाये :—

“आदी खादी तथा सामोखीय घायीण, रॉयन इन्गोरेस्म ब्रॉन्डिंग, मर ओ० टाटा रोड, बम्बई-20।”

एम० एम० सेन,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।